



उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण विभाग "वनभूमि" हस्तान्तरण पत्रावली

**सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग,
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ- रुद्रप्रयाग,**

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लोनिवि को हस्तान्तरण।

ग्राम:- विलौण्ड

राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र:- कालीमठ

तहसील:- ऊखीमठ

जनपद :- रुद्रप्रयाग

क्षेत्रफल:- 1.05 हें आरक्षित वन भूमि (संरक्षित)मोटर मार्ग निर्माण हेतु

0.160 हें आरक्षित वन भूमि (संरक्षित) मक डम्पिंग हेतु।

0.350 हें राज्य भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु।

0.05 हें राज्य भूमि मक डम्पिंग हेतु।

कुल वनभूमि = 1.610 हें

आवश्यक प्रपत्रों की सूची (चैक लिस्ट)

क्र०स०	प्रपत्र का विषय	प्रष्ठ संख्या	संलग्न है/नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन—लाइन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण—पत्र।	8	संलग्न है	
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग—1, 2 तथा भाग—3	9-13	संलग्न है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	14-17	संलग्न है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	18	संलग्न है	
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	19	संलग्न है	
6	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अगल—अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	20	संलग्न है	
7	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	21	संलग्न है	
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	22	संलग्न है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	23	संलग्न है	
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण ऑक्टेंट ही तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	21-22	संलग्न है	
11	वैकल्पिक समरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्ता किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	24-31	संलग्न है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मौँग न्यूनतम होने का प्रमाण—पत्र।	32	संलग्न है	
13	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	33-34	संलग्न है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	35	संलग्न है	
15	बार चार्ट।	36	संलग्न है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण—पत्र।	37	संलग्न है	
17	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	38-43	संलग्न है	
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश।	44	संलग्न है	
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	45	संलग्न है	
20	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण—पत्र।	46	—“—	बाँज वृक्ष पुष्टीवाली नहीं है रहे हैं।
21	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण—पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
22	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण—पत्र।	47	संलग्न है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण—पत्र।	48-49		
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण—पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	52		
25	राष्ट्रीय पार्कों/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मात्र ०० उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	50-51	संलग्न है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्कों/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रभावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण—पत्र।	53	संलग्न है	
27	लागत लाभ विशेषण। (५ हेक्टेएर से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग ५ हेक्टेएर से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	54-58	संलग्न है	
29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले—आउट प्लान।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन

			है	निर्माण सम्बन्धित नहीं है।
31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आव्याए।	60-61	संलग्न है	
32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाणपत्र।	62	संलग्न है	
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्कफोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाणपत्र	63-64	संलग्न है	
34	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	65-66	संलग्न है	
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	67	संलग्न है	
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	68	संलग्न है	
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	69	संलग्न है	
38	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	70	संलग्न है	
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र।	71	संलग्न है	
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्रावकलन मय गान्धिचित्र। (1 हेटो से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	72-76		
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	77		
42	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मान्यतिरिक्त जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	78-79		
43	रग्नीन गूगल मान्यतिरिक्त जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	75-76		
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्रावकलन।	80-82		
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिघर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	83		
46	भूमिघर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध।	—		
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मान्यतिरिक्त व उपचार कार्यों का प्रावकलन।	84-86	संलग्न है	
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	87	संलग्न है	
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	88	संलग्न है	
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्रावकलन।	89	संलग्न है	
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	90	संलग्न है	
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है

फैक्ट सीट

1- परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जाल बैण्ड से विलौण्ड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लोनिंगिं को हस्तान्तरण।

2-प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हेटो में)

आरक्षित वन भूमि (संरक्षिता)	1.05 हेटो मोटर मार्ग हेतु + 0.160 हेटो गढ़ इनिपन हेतु = 1.210
राज्य भूमि	0.350 हेटो मोटर मार्ग हेतु + 0.05 हेटो गढ़ इनिपन हेतु = 0.400
जाप भूमि	शून्य
वन पंचायत भूमि	शून्य
योग	1.610 हेटो

3-प्रस्तावक विभाग का नाम - निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊर्ध्वीमठ

4-वन प्रभाग का नाम - केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

5-प्रस्ताव बांडिंग किया गया है -

✓ हॉ/नहीं

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है -

✓ हॉ/नहीं

7-वर्ता आरत सरकार के प्रारूप के आग-1,2, व 3 के राशी

विन्दुओं की सूचना भरी गई है -

✓ हॉ/नहीं

8-वर्ता प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-

✓ हॉ/नहीं

9-प्रस्तावित क्षेत्र की दरियाली का घनत्व दर्शाया गया है -

✓ हॉ/नहीं

10-प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है-

✓ हॉ/नहीं

11-बौंज प्रजातियों के वृक्षों के प्राप्तिहत होने की दशा में संबंधित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रगाण-पत्र संलग्न

✓

✓ हॉ/नहीं

12- प्राप्तिहत होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है-

✓ हॉ/नहीं

13 - संमेश्वर में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। - ✓ हॉ/नहीं

14 - वर्ता वृक्षों की संख्या के अनुसार छरियाली का घनत्व भर्ती है। -

हाँ/नहीं

15 - वर्ता क्षात्रिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना गया स्थल उपयुक्ता

प्रमाण - पत्र संहिता प्रस्ताव में संलग्न है। -

हाँ/नहीं

16 - वर्ता मानविक्र में क्षात्रिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। -

हाँ/नहीं

17 - प्रस्तावित गार्व के दो ओर / परियोजना के आसपास इक्क

पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। -

हाँ/नहीं

18 - वर्ता परियोजना वन्य जीवों के संरक्षण के टिक्टों से महत्वपूर्ण है। -

हाँ/नहीं

19 - प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है। -

हाँ/नहीं

यदि हाँ तो गुरुत्व जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। -

हाँ/नहीं

20 - वर्ता प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है। -

हाँ/नहीं

21 - प्रस्तावित मार्व नर्या प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्व से आगे निर्माण किया जाना है। -

हाँ/नहीं

(यदि पूर्व निर्मित मार्व से आगे बढ़ाया जाना है तो पूर्व जारी तो शारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)

22 - वर्ता मानविक्र में प्रभावित पिभिन्न प्रकार की शूमि को अलग-2 रबों से भरा गया है। -

हाँ/नहीं

23 - यदि शडक का आरम्भिक विन्दु किसी गार्व से है तो उस मार्व को मानविक्र पर दर्शाया गया है। -

हाँ/नहीं

24 - वर्ता प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है। -

हाँ/नहीं

25 - यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के बाग एवं उनके पिछले की जर्दी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।

उल्लंघन जर्दी (हुआ है)

26 - सड़क निर्माण हेतु तलाशी जर्दी अन्य सम्भावनायों / वैकल्पिक संग्रहण मानविक्र पर दर्शाये गये हैं। -

हाँ/नहीं

27 - वैकल्पिक संग्रहणों को नियमित करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)

28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है

(5.00 है. से अधिक के प्रकारणों में लागू होगा)

हाँ/नहीं

✓

हाँ/नहीं

29-मानविक व वारचाट में एकरूपता है

अथवा

मतवे के निष्ठारण के सम्बन्ध में प्रगाण-पत्र संलग्न है

हाँ/नहीं

31-राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के

साथ संलग्न है

हाँ/बही

32-यद्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों को फोटो प्रतियां मूल में संलग्न हैं

यदि छायाप्रतियां संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापिता हैं-

हाँ/नहीं

33-यदि वन भूमि तीज पर दी जानी है तो तीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

✓

हाँ/नहीं

✓

हाँ/नहीं


✓

34-वित्तीय एवं प्रशासनिक रखीरूपता संलग्न है-

35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में पाइयोजना का नाम अंकित है-

36-यद्या दैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं-

समस्त प्रमाण-पत्र / भूतानाएं संलग्न कर दी गई हैं


निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
कल्यीमठ (रुद्रप्रयाग)


सलायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण
विभाग ऊर्ध्वीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊर्ध्वीमठ (रुद्रप्रयाग)


केदार बाथ यन्य जीव प्रभाग,
कल्यीमठ देव (रुद्रप्रयाग)
यन्य ब्राह्मिकारी
कल्यीमठ वन देव


उपप्रभागीय यन्य जीव प्रभाग
केदार बाथ यन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर


प्रभागीय यन्य जीव प्रभाग
केदार बाथ यन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर